भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 524

जिसका उत्तर 05 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

कोयला नीलामी प्रक्रिया का पुनरुद्धार

524. श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वरः
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को कोयला क्षेत्र में बोली संबंधी समस्याओं, बाजार में कोयले के उत्पादन के हिस्से की अनुमति नहीं देने, बैंक गारंटी संबंधी मुद्दों आदि के बारे में पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्यूष सिन्हा समिति ने हाल ही में देश में कोयला नीलामी प्रक्रिया का पुनरुद्धार करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ) : वर्तमान पद्धति में मानदंड का मूल्यांकन करने तथा कोयला नीलामी हेतु निर्धारित बोली पद्धति की चुनौतियों एवं क्षमताओं का अध्ययन करने एवं यह दर्शाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करने कि क्या कोयला क्षेत्र में अपेक्षित सुधार हेतु बोली मानदंड में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, श्री प्रत्यूष सिन्हा की अध्यक्षता में दिनांक 18.12.2017 को एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) गठित की गई थी। समिति ने दिनांक 12.07.2018 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। एचपीईसी की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की प्रति **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

*****

फा.सं. 13011/4/2018-सीबीए2

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: अक्तूबर, 2018

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) (ग) और (घ) के साथ पठित कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 6(7) के अंतर्गत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को केंद्रीय सरकार का निर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान बोली पद्धति में चुनौतियों तथा क्षमताओं की जांच करने और भविष्य में कोयला खानों की नीलामी करने के लिए परिवर्तन का सुझाव देने हेतु पूर्व सीवीसी श्री प्रत्युष सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) गठित की गई थी। इस समिति ने दिनांक 12.07.2018 को मंत्रालय को वर्तमान बोली पद्धति में क्षमताओं तथा चुनौतियों पर अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिश प्रस्तुत कर दी है।

2. एचपीईसी की सिफारिशों और इस पर सचिव समिति (सीओएस) की सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

2.1 कोयले की वाणिज्यिक खनन / विक्रय का क्रमिक बदलाव

(i) अन्त्य-उपयोग/कैप्टिव खपत के लिए एनआईटी जारी करने के लिए 19 कोयला खानों (एनआरएस के लिए 13 तथा लोहा और इस्पात के लिए 6) की नीलामी हेतु पहचान पहले ही कर ली गई है।
(ii) पीएसयू को 9 कोयला खानों के आबंटन प्रक्रिया जारी रखना (अन्त्य उपयोग विद्युत के लिए 7 तथा कोयले की बिक्री हेतु 2) जिसके लिए एनआईए पहले ही जारी कर दी गई है तथा ऑफर प्राप्त हो चुके हैं।
(iii) इन आबंटनों में (आबंटन तथा नीलामी), इस कार्यालय ज्ञापन में निहित निबंधन एवं शर्तें भी लागू होंगी।
(iv) अन्य मुद्दों पर निर्णय बाद में अलग से लिया जाएगा।

2.2 बोली प्रक्रिया

कार्टिलाइजेशन से बचने तथा निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अंतिम मूल्य प्रस्ताव (एफपीओ) दौर के लिए तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता (टीक्यूबी) का चयन करने हेतु निम्नलिखित पर विचार किया जाना है:-

(i) आईपीओ दौर में यदि 3 टीक्यूबी हैं तो किसी भी टीक्यूबी को हटाया नहीं जाएगा।
(ii) यदि आईपीओ दौर में 4 से 6 टीक्यूबी हैं तो मात्र एक अर्थात् सूची में अंतिम टीक्यूबी को हटाया जा सकता है।
(iii) यदि आईपीओ दौर में 7 अथवा इससे अधिक टीक्यूबी हैं तो आईपीओ दौर में एक-तिहाई टीक्यूबी (जो सूची में अंतिम था) तथा अधिकतम 3 को हटाया जा सकता है। एक-तिहाई की गणना करते समय फ्रैक्शन की अनदेखी की जाए।

2.3 पात्रता मानदंड

कोयले की बिक्री तथा अन्त्य उपयोग/कैप्टिव खपत हेतु मौजूदा पात्रता मानदंड जारी रहेगी।

2.4 न्यूनतम बोलीदाता की संख्या

3 तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता से कम के मामले में नीलामी के पहले प्रयास को निष्प्रभावित किया जाएगा तथा नीलामी का दूसरा प्रयास निम्नलिखित तरीके से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन सहित शुरू किया जाएगा:

(क) निबंधन एवं शर्तों तथा न्यूनतम मूल्य जैसा भी उचित समझा जाए, का नए सिरे से अलग सेट (खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 2017 के संशोधित नियमावली के अनुसार खनिज (नीलामी) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार)।

अथवा

(ख) नीलामी के प्रथम निष्प्रभावित प्रयास में दिए गए निबंधन एवं शर्तों तथा नीलामी के दूसरे प्रयास के लिए न्यूनतम मूल्य के नीलामी के प्रथम निष्प्रभावित प्रयास में टीक्यूबी का अधिकतम प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव, यदि कोई हो, सहित। तीन से कम टीक्यूबी संख्या के मामले में भी दूसरे दौर में बोली प्रक्रिया जारी रहेगी (खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 2017 के संशोधित नियमावली के अनुसार खनिज (नीलामी) नियमावली के अनुसार।

(ग) तथापि, दूसरे प्रयास में मात्र एक बोलीदाता के मामले में बोली प्रक्रिया पुन: निष्प्रभावित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ऐसी कोयला खानों पर निम्नलिखित के अनुसार विचार किया जाएगा:-

i. निबंधन एवं शर्तों तथा न्यूनतम मूल्य जैसा भी उचित हो, का नए सिरे से अलग सेट (खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 2017 के संशोधित नियमावली के अनुसार खनिज (नीलामी) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार)।

अथवा

ii. संगत अधिनियम एवं नियमावली के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार राज्य/केन्द्रीय पीएसयू अथवा सीआईएल को आबंटन।

2.5 उत्पादन में छूट

(क) कोयले की बिक्री के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित मौजूदा शर्तें जारी रहेंगी।

(ख) विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए आबंटिती को ओपनकास्ट खानों में वर्ष में अधिसूचित उत्पादन का 80 प्रतिशत (भूमिगत खानों के मामले में 70 प्रतिशत) तथा ओपनकास्ट खानों में 5 वर्ष के ब्लॉक में अधिसूचित उत्पादन का 90 प्रतिशत (भूमिगत खानों के मामले में 80 प्रतिशत) से कम कोयले का उत्पादन नहीं करना होगा।

2.6 कैप्टिव उपयोग की परिभाषा-आबंटिती द्वारा कोयले का उपयोग।

विशिष्ट अंत्य उपयोग अथवा स्वयं के खपत के लिए निर्धारित कोयला खानों के मामले में आबंटितियों को विशिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्र में अपने वास्तविक उत्पादन (आर ओ एम आधार) का न्यूनतम 75 प्रतिशत उपयोग करने का अधिदेश दिया गया है तथा खुले बाजार में 25 प्रतिशत तक विक्रय की अनुमति दी गई है।

2.7 हटने संबंधी खंड

हटने की शर्त में मौजूदा प्रावधान दंड तथा निष्पादन बैंक गारंटी जब्त करने का है तथा कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

2.8 कोयला खानों के विकास में संबंधित राज्य सरकार की सहभागिता

वर्तमान में मौजूद संयुक्त समीक्षा तंत्र के रूप में राज्य आबंटित ब्लॉकों के तीव्र प्रचालन हेतु विकास एवं मॉनीटरिंग के विभिन्न चरणों में सहभागी बना रहेगा।

2.9 निष्पादन सुरक्षा की गणना

निष्पादन बैंक गारंटी की गणना जोकि खान के निम्नलिखित पीक रेटेड क्षमता (पीआरसी) के अनुरूप रॉयल्टी एवं अंतिम बोली मूल्य के लिए भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि के बराबर है:

(क) कोयले की बिक्री हेतु

नीलामी : पीआरसी का 70 प्रतिशत

आबंटन: पीआरसी का 80 प्रतिशत

(ख) विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए:

नीलामी/आबंटन : ओपनकास्ट खानों में पीआरसी का 90 प्रतिशत (भूमिगत खानों के लिए 80 प्रतिशत)।

2.10 क्षमता मापदंड में छूट

लागू किए जाने वाले क्षमता मापदंड **अनुबंध** के अनुसार हैं। आबंटिती की ओर से विलंब न होने वाले मामलों में तथा जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की मोहलत दी जा सकती है बशर्ते कि समग्र मोहलत अवधि विकास की पिछली विकसित परियोजना के लिए दी गई 15 प्रतिशत की अवधि से अधिक न हो।

2.11 सिंगल विंडो

अनुमोदन और मंजूरी की प्रक्रिया को यथासंभव संबंधित मंत्रालयों/राज्यों के परामर्श से सरलीकृत और त्वरित किया जा सकता है।

2.12 विशिष्ट अंतिम उपयोग के रूप में सहोत्पादन

सहोत्पादन को निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा की जाएगी।

2.13 कुछ समय के लिए सार्वजनिक डोमेन में खान डाटा का प्रकाशन

71 खानों का खान सारांश पहले ही प्रकाशित हो चुका है। इसी तरह, शेष खानों का खान सारांश भी उपलब्ध होने पर यथासमय वेबसाइट पर रखा जा सकता है।

2.14 जुर्माना और विवादों पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र निकाय:-

नामित प्राधिकारी समय-समय पर जारी किए गए अधिनियमों/नियमों और निर्देशों के अनुसार ऐसे सांविधिक/ अन्य कार्यों को करना जारी रखेगा।

2.15 निर्दिष्ट अन्त्य उपयोग "खान से प्राप्त कोयले की धुलाई" के लिए कोयला खानों की नीलामी

यह मानते हुए कि कोयले की धुलाई एचपीईसी/सीओएस की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम/नियमों के तहत एक निर्दिष्ट अन्त्य उपयोग है, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कोयला मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

2.16 सीएमडीपीए को समाप्त करने के परिणामस्वरूप मुआवजा

मौजूदा प्रावधान जारी रह सकते हैं।

2.17 तात्विक मूल्य एवं अपफ्रंट राशि

2.18 राजस्व शेयरिंग; सीआईएल अधिसूचित मूल्य / घरेलू सूचकांक

2.19 कैप्टिव उपयोग की परिभाषा: (ख) धारक कंपनी में कोयले की उपयोगिता

2.20 अन्त्य उपयोग के रूप में मिश्रित उपयोग

क्र.सं.2.17, 2.18, 2.19 और 2.20 पर सिफारिशों के संबंध में अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया गया है ताकि सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ एक निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके जिसे निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

3. तदनुसार, कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) (ग) एवं (घ) के साथ पठित कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 6(7) के अनुसरण में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नामित प्राधिकारी को एतद्द्वारा उपर्युक्त निर्णय को नोट करने तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि

(एन.के.सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23384104

सेवा में:

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी,
कोयला मंत्रालय

सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:

1. कोयला और रेल मंत्री के निजी सचिव
2. कोयला राज्य मंत्री के निजी सचिव
3. सचिव (कोयला) के पी.एस.ओ / अपर सचिव (कोयला) के पीपीएस
4. अपर सचिव (कोयला) के प्रधान निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव(आरकेएस) के पीपीएस/संयुक्त सचिव (बीपीपी) के पीपीएस
6. निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय
7. निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय

अनुबंध

दक्षता मानदंड (पूर्वेक्षण सहित)
(वन भूमि सहित)

लक्ष्य	**आबंटन की तारीख से पूरा करने का समय (माह)**	**कार्यकलाप**	**विनियोजित की जाने वाली कार्य निष्पादन सुरक्षा की प्रतिशतता**	**प्रयोज्यता मानदंड**
पूर्वेक्षण लाइसेंस	3	एमएस-1		
ड्रिलिंग/अन्वेषण का पूरा होना	11			
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) की तैयारी	15		**5**	
जीआर तैयार करने के पश्चात की घटनाएं				
खनन पट्टा आवेदन	**18**	**एमएस-2**		
खनन योजना का प्रस्तुतीकरण	**19**			
खनन योजना/परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन	**21**	**एमएस-3ए**	**16**	
पिछले अनुमोदन का आवेदन	**22**			
वन मंजूरी आवेदन	**22**			
पर्यावरण मंजूरी आवेदन	**23**			
पिछले अनुमोदन	**23**			
वाणिकी मंजूरी (एफसी)-चरण-1	**33**		**7**	
वाणिकी मंजूरी (एफसी)-चरण-2	**39**	**एमएस-3बी**	**6**	
वन्य जीवन मंजूरी	**39**	**एमएस-4**		
पीईएसए के अधीन अनुमोदन	**39**			
पर्यावरण मंजूरी (ईसी)	**39**		**13**	
नाला/नदी डाईवर्जन के लिए अनुमोदन	**45**	**एमएस-5**		
विद्युत लाइन/रेल/सड़क के डाइवर्जन के लिए अनुमोदन	**45**			
पानी लेने के लिए अनुमति	**45**			
विद्युत लेने के लिए अनुमति	**45**			
स्थापना/प्रचालन के लिए सहमति	**51**			
खनन पट्टा प्रदान करना या सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा के तहत अधिसूचना, जो भी लागू हो	**55**		**15**	
भूमि अधिग्रहण	**60**	**एमएस-6**		
अनुमोदित खनन योजना के अनुसार निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए भूमि का कब्जा तथा आर एंड आर	**60**		**10**	

खान खोलने के लिए डीजीएमएस को सूचना	**62**			
विस्फोटक का उपयोग करने और पेट्रोलियम भंडार के लिए लाइसेंस हेतु अनुमोदन	**62**			
कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत अनुमति	**62**			
रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्यूनिकेशन सिस्टम के उपयोग के लिए अनुमति	**62**	**एमएस-7**		
श्रम संबंधित अनुमतियां	**62**			
एस्क्रो लेखा	**62**			
खोलने की अनुमति हेतु आवेदन	**63**			
खान खोलने की अनुमति हेतु आवेदन	**66**		**12**	
अनुमोदित खनन योजना के अनुसार उत्पादन अनुसूची/निर्धारित क्षमता प्राप्त करना	ओपनकास्ट खान के मामले में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार वार्षिक उत्पादन अनुसूची/निर्धारित क्षमता का कम से कम 90% और भूमिगत खानों के लिए अनुमोदित खनन योजना के अनुसार वार्षिक उत्पादन अनुसूची/निर्धारित क्षमता का कम से कम 80%	**एमएस-8**	**16**	1.कार्य निष्पादन सुरक्षा का विनियोजन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार उत्पादन अनुसूची के संबंध में वर्ष में वास्तविक उत्पादन के आधार पर वार्षिक रुप से लागू होगा। 2. इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित खनन परियोजना की उत्पादन अनुसूची के अनुसार इस प्रतिशतता (16%) को उत्पादन शुरु करने के वर्ष से उच्चतम निर्धारित उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के वर्ष के बीच समान रुप से बांटकर कार्य निष्पादन सुरक्षा की वर्ष-वार प्रतिशतता की गणना की जाएगी।
योग			**100**	

फा.सं.13011/4/2018-सीबीए-2

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 07 मार्च, 2019.

<u>आदेश</u>

विषय :कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के अंतर्गत कोयला खानों के आबंटितियों को विशिष्ट अंत्य उपयोग अथवा स्वयं की खपत के लिए खुले बाजार में आर ओ एम आधार पर वास्तविक उत्पादन का 25 प्रतिशत विक्रय करने हेतु अनुमति देने की कार्य- पद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को विशिष्ट अंत्य उपयोग अर्थात् विद्युत (विनियमित क्षेत्र) तथा गैर विनियमित क्षेत्र (सीमेंट, लोहा एवं इस्पात और एनआरएस के रूप में सम्मिलित कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए सरकार द्वारा कोयला खानों के आबंटन हेतु कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा दिनांक 26.12.2014 की कार्य-पद्धति का संदर्भ लेने का निर्देश दिया जाता है ।

2. विशिष्ट अंत्य उपयोग के लिए 26.12.2014 की कार्य-पद्धति में निहित प्रावधानों के अलावा कोयला खानों के भावी आबंटितियों को विशिष्ट अंत्य उपयोग अथवा विशिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्र में वास्तविक उत्पादन (आरओएम आधार) का न्यूनतम 75 प्रतिशत उपयोग करने हेतु स्वयं की खपत के लिए तथा नीचे पैरा 3 में उल्लिखित ऐसे विक्रय पर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान सहित खुले बाजार में वास्तविक उत्पादन (आरओएम आधार पर) का 25 प्रतिशत विक्रय करने की अनुमति दी गई है।

3. **कैप्टिव उपयोग की परिभाषा-आबंटिती द्वारा कोयले का उपयोग।**

3.1 विशिष्ट अंत्य उपयोग अथवा स्वयं की खपत के लिए निर्धारित कोयला खानों के मामले में आबंटितियों को विशिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्र में अपने वास्तविक उत्पादन (आरओएम आधार) का न्यूनतम 75 प्रतिशत उपयोग करने का अधिदेश दिया गया है तथा खुले बाजार में 25 प्रतिशत तक विक्रय की अनुमति दी गई है। नीलामी के मामले में, सफल बोलीदाता को खुले बाजार में विक्रय की जाने वाली कोयले की वास्तविक मात्रा के लिए प्रति टन आधार पर अपनी अंतिम बोली मूल्य का 15 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना अपेक्षित है। अतिरिक्त प्रीमियम अंतिम बोली मूल्य के अलावा होगा। आबंटन के मामले में सफल आबंटिती को खुले बाजार में विक्रय की जाने वाली कोयले की वास्तविक मात्रा के लिए आरक्षित मूल्य का 15 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षित मूल्य के रूप में भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अतिरिक्त आरक्षित मूल्य आरक्षित मूल्य के अलावा होगी।

3.2 वर्ष के दौरानअनुरक्षण अथवा शटडाउन अथवा आबंटिती के नियंत्रण से परे किसी अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि आबंटिती विशिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्र में अथवा स्वयं के खपत में वास्तविक उत्पादन (आरओएम आधार) का न्यूनतम 75 प्रतिशत का उपयोग नहीं कर सका है तो ऐसे वास्तविक उत्पादन के 75 प्रतिशत से अतिरिक्त कोयले का विक्रय आबंटिती द्वारा मौजूदा शर्तों के अनुसार सीआईएल को सीआईएल के अधिसूचित मूल्य के 15 प्रतिशत कम मूल्य पर अनिवार्य रूप से विक्रय किया जाएगा।

3.3 यह कोयला खानों की नीलामी के छठे और सातवें दौर जिसके लिए 25.10.2018 को एनआईटी जारी कर दी गई है तथा 11.06.2018 को जारी एनआईए के चौथे और पांचवे दौर के अंतर्गत खानों के आबंटन तथा भावी आबंटनों (नीलामी/आबंटन) के लिए लागू होगा।

4. पैरा 3 में निहित प्रावधान कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आबंटित कोयला खानों तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोयला खानों के आबंटन के लिए लागू होगा।

5. उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार दिनांक 12.10.2018 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2.6 में संशोधन किया जाता है।

(रिशान रिंताथियांग)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं0-23073936

सेवा में:

1. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय।
2. संयुक्त सचिव (सीबीए-।।), कोयला मंत्रालय।
3. संयुक्त सचिव (सीबीए-।), कोयला मंत्रालय।
4. उप सचिव (सीबीए-।।), कोयला मंत्रालय।
5. उप सचिव (एनए), कोयला मंत्रालय।
6. उप सचिव (सीबीए-।), कोयला मंत्रालय ।

सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:

1. कोयला और रेल मंत्री के निजी सचिव।
2. कोयला राज्य मंत्री के निजी सचिव।
3. सचिव (कोयला) के पी.एस.ओ।
4. अपर सचिव (कोयला) के प्रधान निजी सचिव।
5. संयुक्त सचिव(आरकेएस) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (बीपीपी) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (ए.यू) के निजी सचिव।
6. निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय।
7. निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय ।